

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-310 / 2012

संस्थित दिनांक- 07.08.2012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र  
पिपरई जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियोजन  
**विरुद्ध**

- 1- नथन सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी  
उम्र 33 साल निवासी ग्राम लिधौरा
- 2- चन्द्रभान सिंह पुत्र गोविंद सिंह  
लोधी उम्र 43 साल निवासी सदर
- 3- सुगर सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी  
उम्र 27 साल निवासी सदर सभी  
निवासीगण जिला अशोकनगर  
म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 10.01.2018 को घोषित)

- 01—अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 324, 323/34 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 21.06.2012 को 19:00 बजे फरियादी हरि को उपहति करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी हरि के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा साथ ही दांतों से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-21.06.2012 को नथन, चंद्रभान, सुगर लोधी आये और हरी आदिवासी से कहने लगे कि यहां क्यों काम कर रहे हो, खेत पर हमारा केश चल रहा है, हरि ने कहा कि वह मजूदरी से काम कर रहा है, इसी बात पर से तीनों ने हरि की लाठी से मारपीट कर दी, जिससे बाये पैर के पंजे, पीठ में जगह जगह मुंदी चोट आई, चंद्रभान ने पीठ में दांतों से काट लिया, घटना स्थल पर खिलन मौजूद था, जिसने घटना देखी, रात होने के कारण हरि ने उक्त दिनांक को रिपोर्ट करने नहीं आया, फरियादी हरि

आदिवासी ने घटना दिनांक के अगले दिन ही पुलिस थाना पिपरई में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई, जो पुलिस थाना चंदेरी के अदम चैक क्रमांक-341/12 के तहत लेखबद्ध की गई, फरियादी हरि आदिवासी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में हरि आदिवासी को दांतों से उपहति पाये जाने पर पुलिस थाना पिपरई के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक-113/2012 अंतर्गत भा0दं0वि0 धारा-324, 323, 34 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

04—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 21.06.2012 को 19:00 बजे फरियादी हरि को दांतों से काटकर पीठ में उपहति कारित की ?
2.	क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी हरि को उपहति करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी हरि के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जाकर निष्कर्ष दिया जा रहा है। अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में फरियादी हरि (अ0सा0-3) सहित घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी के रूप में खिलन रजक (अ0सा0-1) भाव

सिंह (अ0सा0-2) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं तथा उपरोक्त साक्षियों के अलावा घटना को प्रमाणित करने के लिये चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ0सा0-5) एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी आर0 एल0 वर्मा (अ0सा0-4) के कथन न्यायालय में कराये गये। बचाव पक्ष की ओर अपने समर्थन में अभियुक्त चंद्रभान (ब0सा0-1) के कथन बचाव साक्षी के रूप में कराये गये हैं तथा अभियुक्त नथन के द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक 164ए/10 के दावे की सत्यप्रतिलिपि सहित नथन के द्वारा ही दिनांक 25.06.2012 को पुलिस थाना पिपरई में की गई रिपोर्ट के आधार पर दर्ज अपराध क्रमांक 118/12 के अभियोगपत्र की सत्यप्रतिलिपि अपने समर्थन में प्रस्तुत की है।

- 06— फरियादी हरि (अ0सा0-3) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि वह तीन चार साल पहले ग्राम कुकरेठा में शाम 07:00 बजे धर्मेद्र का टैक्टर चला रहा था, तो आरोपीगण ने आकर उसका कोलर पकड़ लिया और थप्पड़ों से मारपीट कर दी तथा अभियुक्त नथन ने उसकी कमर में पीछे दांतों से काट लिया। फरियादी हरि (अ0सा0-3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में विवाद का कारण एवं विवाद का स्थान भले ही स्पष्ट नहीं किया, परन्तु प्रतिपरीक्षण में फरियादी ने यह स्पष्ट किया है कि उसे बचपन से ही सुखदेव और पूरन सिंह ने पाला है, तथा झगडा भी पूरन सिंह के खेत पर हुआ था और आरोपीगण का पहले से ही सुखदेव सिंह, पूरन सिंह व धर्मेद्र से झगडा चल रहा था।
- 07— बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त चंद्रभान (ब0सा0-1) का अपने कथनों में प्रतिरक्षा स्वरूप यह कहना है कि उसका फरियादी हरि से कोई झगडा नहीं हुआ, बल्कि उनका जमीनी विवाद जितेन्द्र, सहदेव, पूरन सिंह व रघुवीर से चल रहा है जिसके संबंध में प्रदर्श-डी 1 का दावा उसके भाई ने न्यायालय में पेश किया है। वही इन्ही लोगों के विरुद्ध उसके भाई ने मारपीट की रिपोर्ट की थी। जिसके अभियोग पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श-डी 3 प्रकरण में प्रस्तुत की है। चंद्रभान (ब0सा0-1) की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि फरियादी घटना दिनांक को जिस खेत पर काम करने के दौरान अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करने की घटना बता रहा है, उक्त भूमि के संबंध में अभियुक्तगण तथा सुखदेव, पूरन आदि के मध्य पूर्व से विवाद चल रहे हैं जिसके संबंध में अभियुक्त पक्ष के द्वारा सुखदेव आदि के विरुद्ध दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण भी कायम कराये गये हैं।
- 08— फरियादी हरि (अ0सा0-3) का कहना है कि वह घटना के समय पूरन सिंह के खेत पर शाम 07:00 बजे धर्मेद्र का टैक्टर चला रहा था अर्थात् वह धर्मेद्र आदि

के लिये उनकी भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था। अतः स्पष्ट है कि जमीन के विवाद को लेकर अभियुक्तगण व धर्मेंद्र आदि के मध्य पूर्व की रंजिश थी, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि मात्र पूर्व की रंजिश स्थापित होने से यह निष्कर्ष नहीं निकला जा सकता है कि फरियादी हरि जो विवादित भूमि पर कृषि कार्य कर रहा था, ने अभियुक्तगण को झूठ फंसाया है। फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-3) का अभियुक्तगण से स्वयं का कोई व्यक्तिगत विवाद था, ऐसा कहीं भी अभियुक्तगण का कहना नहीं है।

- 09— फरियादी हरि (अ0सा0-3) के द्वारा भले ही घटना का दिनांक व सन स्पष्ट नहीं किया था, जो कि ग्रामीण परिवेश होने के कारण उससे बताये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। फरियादी ने इस संबंध में अखण्डित साक्ष्य दी है कि विवाद पूरन सिंह आदि के खेत पर हुआ था तथा उक्त विवाद उसके कथन देने के दिनांक से तीन चार वर्ष पूर्व शाम 07:00 बजे जब वह खेत पर कार्य कर रहा था, तब हुआ था। उक्त घटना की पुष्टि घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भाव सिंह (अ0सा0-2) ने अपने कथनों में की है तथा भाव सिंह (अ0सा0-2) का कहना है कि घटना के समय उसने आरोपीगण व फरियादी हरि (अ0सा0-3) की दूर से चैटाचाटी होती हुई देखी थी, उस समय वह टैक्टर से खेती का सामान लेकर पूरन व सुखदेव के खेत पर गया था।
- 10— फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-3) ने हालांकि अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन दिये हैं कि भावसिंह घटना के समय वहां नहीं था, जबकि भावसिंह (अ0सा0-2) का कहना है कि वह खेती का सामान लेकर टैक्टर से पहुंचा था जिससे घटना स्थल पर घटना के समय भाव सिंह (अ0सा0-2) था अथवा नहीं, इस संबंध में विरोधाभास देखा जा सकता है कि परन्तु उक्त विरोधाभास तात्त्विक नहीं है क्योंकि भाव सिंह (अ0सा0-2) का स्वयं का यह कहना है कि वह दूर से घटना देख रहा था तथा उसने दूर से ही आरोपीगण को हरि की मारपीट करते हुये देखा था और घटना के समय वह फरियादी के साथ काम नहीं कर रहा था। अतः यह संभव है कि घटना दूरी से देखने के कारण फरियादी को यह जानकारी ही न हो कि मौके पर कौन-कौन उपस्थित था। अतः उक्त विरोधाभास मात्र से भावसिंह (अ0सा0-2) की घटना स्थल पर उपस्थिति संदिग्ध नहीं मानी जा सकती है।
- 11— घटना के अन्य साक्षी खिलन रजक (अ0सा0-1) ने अपने कथनों में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया तथा घटना जानकारी होने से ही इन्कार किया है, जिससे इस साक्षी के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं

होता है। यह उल्लेखनीय है कि खिलन रजक (अ0सा0-1) के अभियोजन को समर्थन न करने से अभियोजन की शेष साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि किसी भी घटना के संबंध में साक्षियों की संख्या की अपेक्षा साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है।

12- वर्तमान प्रकरण में अभियुक्तगण तथा सुखदेव पूरन आदि के मध्य जमीनी विवाद को लेकर पूर्व की रंजिश होना स्थापित है तथा जिस जमीन को लेकर विवाद था, उसी पर फरियादी हरि (अ0सा0-3) सुखदेव आदि के लिये घटना दिनांक को कृषि कार्य करना अपने कथनों में बताता है। अभियुक्तगण की ओर से दिनांक 25.06.2012 को दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अभियोगपत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रकरण में संलग्न की है जबकि इस प्रकरण की घटना दिनांक 22.06.2012 की है। जो कि उस घटना के पूर्व की है। चन्द्रभान (ब0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-3 में स्वयं यह स्वीकार करता है कि दिनांक 25.06.2012 के विवाद से दो-तीन दिन पूर्व वह विवादित भूमि पर जुताई का कार्य करने गया था, वही साथ ही वह उस भूमि पर सुखदेव का कब्जा भी स्वीकार करता है। अतः उपरोक्त साक्ष्य घटना स्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति एवं विवाद करने का कारण प्रमाणित होता है, क्योंकि यदि सुखदेव का भूमि पर कब्जा था और हरि सुखदेव के लिये कृषि कार्य कर रहा था, तो अभियुक्तगण का जुताई के लिये भूमि पर जाना फरियादी के द्वारा बताई गई घटना को विश्वसनीय बनाता है, जिसकी पुष्टि भावसिंह (अ0सा0-2) ने अपने कथनों में की है।

13- हरि सिंह (अ0सा0-3) का अपने कथनों में स्पष्ट कहना है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ थप्पड़ से मारपीट की थी तथा नथन ने उसे दांतों से काट लिया था, जिसमें उसके गाल पर मुंदी चोट आई थी तथा दांतों की भी चोट थीं एवं पैरों पर भागने के कारण मोच की चोट थी। उक्त आरोपीगण के द्वारा की गई मारपीट की पुष्टि भावसिंह (अ0सा0-2) ने अपने कथनों में की है भले ही उसने प्रत्येक अभियुक्त का घटना में किया गया कृत्य स्पष्ट नहीं किया। चिकित्सीय साक्षी प्रशांत दुबे (अ0सा0-5) ने इस बात की पुष्टि की है कि उक्त दिनांक को ही किये गये चिकित्सीय परीक्षण में उसने फरियादी के बाये पैर के पंजे पर सूजन पाई थी तथा दाहिने कंधे के पीछे दांतों के काटने की चोट पाई थी। जो कि मानव दांत की थी और स्पष्ट दिखाई दे रही थी। डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ0सा0-5) ने अपनी मौखिक साक्ष्य से प्रदर्श-पी 12 के चिकित्सीय प्रतिवेदन को प्रमाणित किया है।

14- डॉक्टर प्रशांत दुबे (अ0सा0-5) की साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है कि द

टटना के बाद फरियादी के चिकित्सीय परीक्षण में उसके बाये कंधे के पीछे मानव दांत से काटने की चोट थी तथा बाये पैर के पंजे में सूजन थी, जो फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-3) के द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की गई साक्ष्य को जो कि घटना के संबंध में अखण्डित है, विश्वसनीय बनाने के लिये पर्याप्त है जिससे स्पष्ट होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने जमीनी विवाद पर से एक राय होकर फरियादी हरि सिंह (अ0सा0-3) को उपहति करने का सामान्य निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में फरियादी के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। आर0 एल0 वर्मा (अ0सा0-4) ने अपनी मौखिक साक्ष्य से प्रकरण में किये गये अनुसंधान को प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से अनुसंधानकर्ता अधिकारी की कार्यवाही को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई कि अदम चैक में दिनांक लिखने में काट छांट हैं, जिसे आर0 एल0 वर्मा (अ0सा0-4) ने स्वीकार भी किया है, परन्तु प्रदर्श-पी 3 पर शेष दिनांक से स्पष्ट है कि जिससे मात्र उक्त काट छांट के आधार पर आर0 एल0 वर्मा (अ0सा0-4) के द्वारा की गई कार्यवाही को दूषित नहीं माना जा सकता है।

15- यह उल्लेखनीय है कि फरियादी ने अपने मुख्यपरीक्षण में नथन के द्वारा दांतों से काटना बताया है जबकि अभियोजन कहानी के अनुसार चंद्रभान ने उसे दांतों से काटा था, उक्त स्थिति फरियादी ने अपने प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त चंद्रभान की पहचान करते हुये स्पष्ट किया है कि जिससे स्पष्ट होता है कि नाम की भूल के कारण उसने नथन का नाम बताया है, जबकि दांतों से काटने की चोट उसके अनुसार चंद्रभान के द्वारा कारित की गई थी। फरियादी के शरीर पर अन्य कोई जाहिर चोट नहीं है, जो मारपीट दर्शाती हो, जबकि इस संबंध में हरि (अ0सा0-3) व भाव सिंह (अ0सा0-2) की साक्ष्य अखण्डित है। जिसके संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साधारण उपहति के लिये यह आवश्यक नहीं है कि कोई जाहिर चोट हो, मात्र किसी व्यक्ति के शरीर को दर्द पहुंचाना भी साधारण उपहति के श्रेणी में आता है।

16- फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 21.06.2012 को शाम 07:00 बजे ग्राम कुकरेठा में पूरन सिंह के खेत पर अभियुक्तगण ने फरियादी हरि को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया था और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्तगण ने फरियादी हरि के साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी तथा उक्त घटना में मात्र चन्द्रभान ने फरियादी को दांतों से काटकर स्वेच्छया

उपहति कारित की थी।

- 17- यहा उल्लेखनीय है कि चूंकि मानव दांत भा0द0वि0 की धारा 324, 326 के तहत "उपकरण" अथवा घातक आयुद्ध की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस संबंध में न्यायालय को अभिमत माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **kamla bai vs naresh [2016] 160 AIC 501** एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **shakeel ahmed vs state delhi [2004] 10 SCC 103** में प्रतिपादित न्यायमत पर आधारित है। अतः अभियुक्त चंद्रभान का कृत्य भा0द0वि0 की धारा 324 की परिधि में न आकर भा0द0वि0 की धारा 323 की परिधि में आता है।
- 18- फलतः अभियुक्तगण नथन सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी, सुगर सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी पर भा0दं0वि0 की धारा 323/34 के आरोप प्रमाणित होने से अभियुक्तगण नथन सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी, सुगर सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी भा0दं0वि0 की धारा 323/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी पर भा0दं0वि0 की धारा 323 के आरोप प्रमाणित होने से अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी को भा0द0वि0 की धारा 323 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 19- अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्तगण को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 20- दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है, फरियादी को कोई गंभीर चोट नहीं है। इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने पर

निवेदन किया।

21- प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्तगण वर्ष 2012 से नियमित उपस्थित हुये हैं, फरियादी को मात्र साधारण सी उपहति कारित हुई है जिसके लिये अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दण्डित करने पर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण नथन सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी, सुगर सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी को भा०द०वि० की धारा 323/34 के अपराध का दोषी पाते हुये एवं अभियुक्त चन्द्रभान सिंह पुत्र गोविंद सिंह लोधी को भा०द०वि० की धारा 323 के दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषी पाते हुये प्रत्येक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500-500 रुपये (पांच-पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07-07 दिवस (सात-सात दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे।

22- अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)